हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्वनाम-दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.) - 491001

ईमेल: academic@durguniversity.ac.in वेब साइट: www.durguniversity.ac.in *दूरभाष: 0788-2359400*

क्र. 3413 /अका./वार्षिक संबंद्धता/73/2021 दुर्ग, दिनांक : 11 /01 /2021

||आदेश||

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक **28.12.2020** में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् में अनुमोदन की प्रत्याशा में तदनुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तो के अधीन **वार्षिक संबद्धता सत्र 2020–21** के लिए प्रदान की जाती है:–

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या
01.	शासकीय डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (छ.ग)	**Permanent Affiliation**	
		B.A.- Hindi, English, Economics, History, Political Science, Sociology	**310**
		Including additional subj. with non perma. affili. Geography, Home Science(20)	
		Non-Permanent Affiliation	
		B.Com- Including Computer Application	**130**
		B.Sc.- Chemistry, Botany, Zoology	**170**
		B.Sc.-Chemistry, Physics, Mathematics **Including** Computer Science	**100**
		M.A.- Political Science	**50**
		M.A.- Hindi	**50**
		M.A.- Sociology	**35**
		M.A.- Economics	**35**
		M.A.- English Litt.	**40**
		M.Com	**40**
		M. Sc.- Botany	**20**
		M.Sc.- Mathematics	**25**
		M. Sc.- Zoology	**20**

निर्देश :

1. छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्ग दर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
2. शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को यू.जी.सी./छ.ग. शासन द्वारा स्वीकृत वेतनमान (समस्त भत्तों सहित) देना होगा।
3. शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तो का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
4. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
5. समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
6. न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति पाठ्यक्रम आरम्भ करने के साथ ही करनी होगी।
7. महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में आवश्यक परिर्वतन करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता को सृदढ़ करेंगे।
8. तत्काल विषयों से संबंधित पुस्तकें क्रय करेंगे।
9. उपरोक्त संबंद्धता आदेश में किसी प्रकार के आवश्यक संशोधन यथा विषय/कक्षा/सीट संख्या आदि होने पर प्रमाण सहित विश्वविद्यालय को 10 दिवस के अंतगर्त अनिवार्यतः अवगत करायें।

उक्त शर्तो की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों/कक्षा की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

कुलसचिव

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

क्रमशः...............

पृ.क्र. 3414 /अका./वार्षिक संबंद्धता/73/2021 दुर्ग, दिनांक : 11 /01 /2021

प्रतिलिपिः

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक–सी, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
2. कुलपति के निज सहायक/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
3. परीक्षा विभाग, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।

सहा. कुलसचिव (अका.)
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

HEMCHAND YADAV VISHWAVIDYALAYA, DURG (CG)

(A State Government University established under Chhattisgarh Act No. 16 of 2015)
Raipur Naka, Durg (C.G.) – 491001
Email: academic@durguniversity.ac.in Website: www.durguniversity.ac.in Phone 0788-2359400

No./4234 /Academic/ Non-Permanent Affiliation /Seat Increment /2021 **Durg, Dated – 21 /10 /2021**

ORDER

As per the University Standing Committee meeting date **30-09-2021** and anticipation of approval by the Executive Council, following college is granted **non–permanent affiliation & seat increment** for the year **2021-22** as shown in the class/subject after deposit of prescribed fee under the term and condition laid down in university statue 27 & 28.

College Name	Class/ Subject	Number of Seats	Affiliation (Permanent/ Non-Permanent)
Government Dr. Babasaheb Bheemrao Ambedkar Mahavidyalaya, Dongargaon, Dist- Rajnandgaon. (C.G.)	**B.Sc. –** Chemistry, Botany, Zoology (Seat Increment – 30)	130	Non- Permanent Affiliation
	B.Sc. – Chemistry, Physics, Mathematics (Seat Increment –50)	220	Non- Permanent Affiliation
	DCA	50	Non- Permanent Affiliation
	PGDCA	30	Non- Permanent Affiliation
	M.Sc. – Chemistry (Previous)	20	Non- Permanent Affiliation
	M.Sc. – Physics (Previous)	20	Non- Permanent Affiliation

Instructions-

1. College will follow recent admission guidelines issued by Department of Higher Education, Govt. of Chhattisgarh and will also give priority to students of Chhattisgarh State.
2. All teaching and non-teaching staff of the college will be given pay scale (Including all allowances) as recommended by UGC/CG Govt.
3. If the college doesn't follow the terms & conditions mentioned in the order of Govt. and any objection is laid at any point then action may be taken as per rules.
4. No donation should be collected from the students as per provision of the govt. rules.
5. College must have to follow the directions issued by affiliating university from time to time.
6. From the inception of any course, recruitment of minimum teaching staff is compulsory.
7. Books of the concerned subjects should be purchased instantly.
8. If there is any modification regarding subjects/classes/seat no. in this affiliation letter, then colleges should compulsorily contact University within **10 days** from the date of release of letter along with documentary proof.

Failing to fulfill the conditions as mentioned above, the affiliation in subjects/classes provided to college can be reverted from the upcoming session.

Registrar
Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg

No./4235/Academic/ Non-Permanent Affiliation /Seat Increment /2021 **Durg, Dated – 21 / 10 /2021**

Copy to –

1. Commissioner Higher Education Dept. Block C, Second & Third Floor, Indravati Bhavan, Atal Nagar, Naya Raipur.
2. PA to Hon'ble VC/Registrar for information.
3. Exam Section, Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg (C.G.)

Assistant Registrar (Acad.)
Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम– दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका,दुर्ग (छ.ग.) 491001

ईमेल: academic@durguniversity.ac.in वेबसाइट: www.durguniversity.ac.in दूरभाष: 0788-2359400

क्र./ 3853 /अका./2021

प्रति,

दुर्ग, दिनांक 29 /07/2021

प्राचार्य,

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

विषय :– प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत एवं अकादमिक कैलेण्डर (शैक्षणिक सत्र 2021–22) के संबंध में।

संदर्भ :–(01) कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) का पत्र कमांक 1684/214/आउशि/सम./2021, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 14/07/2021

(02) कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) का पत्र कमांक 1722/213/आउशि/सम./2021, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 26/07/2021

– – – 00 – – –

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए उच्च शिक्षा विभाग से प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धान्त एवं अकादमिक कैलेण्डर प्राप्त हुआ है, जो मूलतः संलग्न है।

उक्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धान्त मे दिए गए प्रावधानों एवं अकादमिक कैलेण्डर का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करते हुए पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

कुलसचिव

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्र./ 3854 /अका./2021

दिनांक 29/07/2021

प्रतिलिपिः–

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. कुलपति महोदय के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

सहा. कुलसचिव (अका.)

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर
------00---------

No.: L-201------22------
AD-(K)---/JD/--------/DD------
Section------समन्वय
Date 5 JUL 2021 C.H.E

क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 03/7/2021

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर,
रायपुर।

विषयः– **छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2021–22 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्।**

संदर्भः– **आपका ज्ञापन कमांक 1563/214/आउशि/सम/2021 दिनांक 16.06.2021**

-----00-------

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2021–22 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(ए.आर. खान)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,रायपुर।
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

3. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

समन्वय
08/07/2021

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए

सत्र 2021–22

हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत

दर्शिका

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2021–22

1. **प्रयुक्ति :–**

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम--1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। ''प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम समेस्टर से है।

2. **प्रवेश की तिथि :–**

2.1 **प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :–**

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु ''ऑनलाईन'' फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगें। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि ''ऑफलाईन'' आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगें।

2.2 **प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :–**

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 01 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 15 सितम्बर तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 अगस्त से तथा अन्य कक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रकिया की जावेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र–पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जा

प्रवेश हेतु प्राथमिकता :–

स्नातक / स्नातकोत्तर / विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

स्नातक / स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित / उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित / एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित / स्वा... विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी ... महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों / तहसीलों / जिलों के निवासरत अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

2 आरक्षण–छत्तीसगढ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :–

21 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :–

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त सख्या म स बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के साथ–साथ अनुसूचित जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इस विपरीत क्रम में ... विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इन्हें अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12 2 (1) बिन्दु क 12 1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटो का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको / भूतपूर्व सैनिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियो के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के

ने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

शोध छात्र :-

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जाय। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति मे सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच–डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप मे कार्यरत है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण- पत्र एवं प्रति तीन माह में कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानातरण हो जाने की स्थिति मे शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उस महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। **संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।**

16 **विशेष :-**

16.1 जाली प्रमाण–पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 मे वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण मे मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय–समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को होगा।

GOVT. DR. BABA SAHEB BHEEMRAO AMBEDAKAR PG COLLEGE
DONGARGAON. DIST- RAJNANDGAON (C.G.)
NAAC Accredited with B Grade
email-college.bsba@gmail.com , web site- www.bsba.com , Contact No.: 07745-271882

Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/State Govt rule

SESSION 2016-17

S.NO.	PROGRAMME	TOTAL SEAT	32% FOR S.T.	12% FOR S.C.	14% FOR OBC	42% FOR UNRESERVED
1	B.A	840	269	101	118	352
2	B.COM.	390	125	47	55	163
3	B.SC.	720	230	86	101	303
4	M.A. POL. SCI.	100	32	12	14	42
5	M.A. HINDI	100	32	12	14	42
6	M.A. SOCIOLOGY	70	22	8	10	30
7	M.A. ECONOMICS	70	22	8	10	30
8	M.A. ENGLISH	80	26	10	11	33
9	M.COM.	80	26	10	11	33
10	M.SC. BOTANY	40	13	5	6	16
11	M.SC. MATHS	50	16	6	7	21
	TOTAL	2540	813	305	357	1065

RESERVE SEATS
ST= 813
SC= 305
OBC=357
TOTAL=1475

प्राचार्य
शास. डॉ. बाबा साहेब भी. रा.
अम्बेडकर महाविद्यालय डोंगरगाँव

GOVT. DR. BABA SAHEB BHEEMRAO AMBEDAKAR PG COLLEGE
DONGARGAON. DIST- RAJNANDGAON (C.G.)
NAAC Accredited with B Grade
email-college.bsba@gmail.com , web site- www.bsba.com , Contact No.: 07745-271882

Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/State Govt rule

SESSION 2017-18

S.NO.	PROGRAMME	TOTAL SEAT	32% FOR S.T.	12% FOR S.C.	14% FOR OBC	42% FOR UNRESERVED
1	B.A	840	269	101	118	352
2	B.COM.	390	125	47	55	163
3	B.SC.	720	230	86	101	303
4	M.A. POL. SCI.	100	32	12	14	42
5	M.A. HINDI	100	32	12	14	42
6	M.A. SOCIOLOGY	70	22	8	10	30
7	M.A. ECONOMICS	70	22	8	10	30
8	M.A. ENGLISH	80	26	10	11	33
9	M.COM.	80	26	10	11	33
10	M.SC. BOTANY	40	13	5	6	16
11	M.SC. MATHS	50	16	6	7	21
12	M.SC. ZOOLOGY	20	06	02	03	09
	TOTAL	2560	819	307	360	1074

RESERVE SEATS
ST= 819
SC= 307
OBC=360
TOTAL=1486

प्राचार्य
शास. डॉ. बाबा साहेब भी. रा.
अम्बेडकर महाविद्यालय डोंगरगाँव

GOVT. DR. BABA SAHEB BHEEMRAO AMBEDAKAR PG COLLEGE
DONGARGAON. DIST- RAJNANDGAON (C.G.)
NAAC Accredited with B Grade
email-college.bsba@gmail.com , web site- www.bsba.com , Contact No.: 07745-271882

Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/State Govt rule

SESSION 2018-19

S.NO.	PROGRAMME	TOTAL SEAT	32% FOR S.T.	12% FOR S.C.	14% FOR OBC	42% FOR UNRESERVED
1	B.A	930	298	112	130	390
2	B.COM.	390	125	47	55	163
3	B.SC.	810	259	97	113	341
4	M.A. POL. SCI.	100	32	12	14	42
5	M.A. HINDI	100	32	12	14	42
6	M.A. SOCIOLOGY	70	22	8	10	30
7	M.A. ECONOMICS	70	22	8	10	30
8	M.A. ENGLISH	80	26	10	11	33
9	M.COM.	80	26	10	11	33
10	M.SC. BOTANY	40	13	5	6	16
11	M.SC. MATHS	50	16	6	7	21
12	M.SC. ZOOLOGY	40	13	05	06	16
	TOTAL	2760	884	332	387	1157

RESERVE SEATS
ST= 884
SC= 332
OBC=387
TOTAL=1603

प्राचार्य
शास. डॉ. बाबा साहेब भी. रा.
अम्बेडकर महाविद्यालय डोंगरगाँव

GOVT. DR. BABA SAHEB BHEEMRAO AMBEDAKAR PG COLLEGE
DONGARGAON. DIST- RAJNANDGAON (C.G.)
NAAC Accredited with B Grade
email-college.bsba@gmail.com , web site- www.bsba.com , Contact No.: 07745-271882

Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/State Govt rule

SESSION 2019-20

S.NO.	PROGRAMME	TOTAL SEAT	32% FOR S.T.	12% FOR S.C.	14% FOR OBC	42% FOR UNRESERVED
1	B.A	930	298	112	130	390
2	B.COM.	390	125	47	55	163
3	B.SC.	810	259	97	113	341
4	M.A. POL. SCI.	100	32	12	14	42
5	M.A. HINDI	100	32	12	14	42
6	M.A. SOCIOLOGY	70	22	8	10	30
7	M.A. ECONOMICS	70	22	8	10	30
8	M.A. ENGLISH	80	26	10	11	33
9	M.COM.	80	26	10	11	33
10	M.SC. BOTANY	40	13	5	6	16
11	M.SC. MATHS	50	16	6	7	21
12	M.SC. ZOOLOGY	40	13	05	06	16
	TOTAL	2760	884	332	387	1157

RESERVE SEATS
ST= 884
SC= 332
OBC=387
TOTAL=1603

प्राचार्य
शास. डॉ. बाबा साहेब भी. रा.
अम्बेडकर महाविद्यालय डोंगरगाँव

GOVT. DR. BABA SAHEB BHEEMRAO AMBEDAKAR PG COLLEGE
DONGARGAON. DIST- RAJNANDGAON (C.G.)
NAAC Accredited with B Grade
email-college.bsba@gmail.com , web site- www.bsba.com , Contact No.: 07745-271882

Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/State Govt rule

SESSION 2020-21

S.NO.	PROGRAMME	TOTAL SEAT	32% FOR S.T.	12% FOR S.C.	14% FOR OBC	42% FOR UNRESERVED
1	B.A	930	298	112	130	390
2	B.COM.	390	125	47	55	163
3	B.SC.	810	259	97	113	341
4	M.A. POL. SCI.	100	32	12	14	42
5	M.A. HINDI	100	32	12	14	42
6	M.A. SOCIOLOGY	70	22	8	10	30
7	M.A. ECONOMICS	70	22	8	10	30
8	M.A. ENGLISH	80	26	10	11	33
9	M.COM.	80	26	10	11	33
10	M.SC. BOTANY	55	18	7	8	22
11	M.SC. MATHS	50	16	6	7	21
12	M.SC. ZOOLOGY	55	18	7	8	22
	TOTAL	2790	894	336	391	1169

RESERVE SEATS	**NOTE-**
ST= 894	MSC BOTANY
SC= 336	PREV-35
OBC=391	FINAL-20
	TOTAL-55
	MSC ZOOLOGY
	PREV-35
	FINAL-20
TOTAL=1621	TOTAL-55

प्राचार्य
शास. डॉ. बाबा साहेब भी. रा.
अम्बेडकर महाविद्यालय डोंगरगाँव